



संजय गाँधी स्नातकोत्तर आयुर्विज्ञान संस्थान, लखनऊ।

Sanjay Gandhi Post Graduate Institute Of Medical Sciences

RAEBARELI ROAD, LUCKNOW-226014 (INDIA)

Phone (0522)-2668700, 2668800, 2668900 Fax-(0522)- 2668017, 2668129

पत्र सं०: पी०जी०आई०/अधि/ 550 /2023

दिनांक 01- 8- 2023

कार्यालय आदेश

रिट याचिका सं०- 902 (एस०एस०) ऑफ 2011 एवं अन्य सम्बद्ध रिट याचिकाओं में माननीय उच्च न्यायालय, इलाहाबाद, खण्डपीठ लखनऊ के पारित आदेश दिनांक 14.07.2023 के परिपालन में कार्यालय आदेश सं०- पी०जी०आई०/डी०आई०आर०/डी०सी०/450/2023 दिनांक 18.07.2023 के अनुक्रम में गठित समिति द्वारा दिनांक 21.07.2023 को अधोहस्ताक्षरी के समक्ष अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत की गयी। समिति द्वारा दिये गये प्रस्तावों/सुझावों को स्वीकार करते हुए निम्नवत् आदेश पारित किये जाते हैं :-

1. माननीय उच्च न्यायालय के आदेश दिनांक 14.07.2023 के द्वारा दिनांक 24.02.2011 से प्रभावी स्टेटस-को को निरस्त किये जाने के परिणामस्वरूप 68वीं शासी निकाय की बैठक दिनांक 06.03.2010 में लिये गये निर्णय एवं आदेश दिनांक 15.01.2010, 11.10.2010 एवं 25.01.2011 को प्रभावी किये जाने के आदेश पारित किये जाते हैं।
2. माननीय उच्च न्यायालय के आदेश दिनांक 14.07.2023 के अनुपालन में उपर्युक्त आदेशों के फलस्वरूप शासी निकाय बैठक दिनांक 08.01.1988 में लिये गये निर्णय के कार्यान्वयन हेतु निर्गत कार्यालय आदेश सं० PGI/Estat/5702/94 dt. 02.07.1994, PGI/Estt./1944/2002 dt. 20.03.2002 एवं PGI/Nide/61/2003 dt. 02.04.2003 को निरस्त किये जाने के आदेश पारित किये जाते हैं।
- 3- Except for the recovery of excess amount already paid, which this Court has found to be unjustified, the order dated 15.01.2010 passed by the Chief Secretary, Uttar Pradesh, the decision of Governing Body dated 06.03.2010 and office order dated 11.10.2010 passed by Director of the Institute, order dated 25.01.2011 passed by the Visitor (His Excellency the Governor of Uttar Pradesh) of the Institute are directed to be complied in its letter and spirit and all promotions, re-arrangement of post, pay-scales, DPC, other service benefits, etc. has to be assessed and calculated in the light of these orders and the cadre review meeting dated 03.01.1997, within a period of two months from today;

उपरोक्तानुसार समस्त पदोन्नति, पदों का पुनर्गठन, वेतनमान, विभागीय पदोन्नति समिति एवं अन्य सेवा लाभ प्रदान किये जाने के आदेश पारित किये जाते हैं।

4. माननीय उच्च न्यायालय के आदेशों के अनुपालन में संस्थान की शासी निकाय के निर्णय दिनांक 08.01.1988 के कार्यान्वयन में वेतन मद में किए गए अधिक भुगतान की वसूली (Recovery) न किये जाने के आदेश पारित किये जाते हैं।



संजय गाँधी. स्नातकोत्तर आयुर्विज्ञान संस्थान, लखनऊ।

Sanjay Gandhi Post Graduate Institute Of Medical Sciences

RAEBARELI ROAD, LUCKNOW-226014 (INDIA)

Phone (0522)-2668700, 2668800, 2668900 Fax-(0522)- 2668017, 2668129

5. The seniority list published on 27.06.2014 is quashed. The Institute is directed to prepare fresh seniority list of the employees of "Accounts Cadre" in the light of the observations made hereinabove and the decisions of the President dated 15.01.2010, Governing Body dated 06.03.2010, the Director dated 11.10.2010 and the Visitor dated 15.01.2011, within two months from today;

उपरोक्तानुसार माननीय उच्च न्यायालय के आदेश के क्रम में लेखा संवर्ग हेतु दिनांक 27.06.2014 को प्रकाशित वरिष्ठता सूची को निरस्त करते हुये लेखा संवर्ग की वरिष्ठता सूची पुनः प्रकाशित किये जाने के आदेश पारित किये जाते हैं।

(प्रो० आर०के० धीमन)

निदेशक

प्रतिलिपि :- निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

1. अपर निदेशक, एस०जी०पी०जी०आई०।
2. संयुक्त निदेशक (प्रशासन)।
3. मुख्य चिकित्सा अधीक्षक।
4. वित्त अधिकारी।
5. कार्यपालक कुलसचिव।
6. प्रभारी, विधि प्रकोष्ठ।
7. विभागाध्यक्ष, बी०एच०आई० को संस्थान की वेबसाइट पर अपलोड करने हेतु।
8. माननीय उच्च न्यायालय के आदेश दिनांक 14.07.2023 के क्रम में संस्थान के समस्त सम्बन्धित अधिकारियों/कर्मचारियों को सूचना पट एवं संस्थान की वेबसाइट के माध्यम से सूचनार्थ।

(प्रो० आर०के० धीमन)

निदेशक

o/c